अत्यन्त गरीब/अतिगरीब **(Ultra Poor)** चयन करने व **Ultra Poor Package-Interest free loan** देने हेतु दिशा–निर्देश एवं मानक संचालन प्रणाली **(SOP)**

1 -निर्धारित मानकानुसार अत्यन्त गरीब/अतिगरीब **(Ultra Poor)** का चयन

ग्रामीण उद्यम वेग वृद्वि परियोजना के अन्तर्गत 10000 परिवारों को चयन कर उन्हे विभिन्न उपयुक्त आजीविका संबर्धन गतिविधियों से जोड़ा जाना है। इन परिवारों का चयन सामाजिक अर्थिक जनगणना–2011 **(Secc-2011)** व **PoP list** में निर्धारित परिवारों **(Inclusion category/Ultra poor for REAP)** से किया जाना है जिनके मानको का विवरण निम्नानुसार है।

- बिना घर वाले परिवार (HHs without Shelter)
- असहाय (Destitute HHs)
- मैला ढोने वाले (Manual Scavenger) परिवार।
- आदिवासी समूह (Primitive Tribal Group) (भोक्सा, राजि/वनराजि)
- कानूनी रूप से बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराये गये परिवार (Legally, Released Bonded Labour)
- ऐसे परिवार विकलांग परिवार जिनके यहां कोई भी सदस्य कमाने वाला न हो। (Deprive Category)

उक्त में कोई भी मानक पूरा करने वाले परिवार को **Ultra Poor** परिवार माना जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त सामाजिक आर्थिक जनगणना–2011 की **Deprived Category** व **PoP list (Rest of extreme for REAP)** में से कम से कम 4 मानको को पूरा करने वाले परिवारों को भी सम्मिलित किया गया है, Deprived Category के मानकों का विवरण निम्नानुसार है।

- ऐसे परिवार जिसमें 16–59 वर्ष की उम्र का कोई सदस्य न हो।
- महिला मुखिया परिवार जिसके यहां पर 16–59 वर्ष का पुरूष सदस्य न हों।
- एक कमरे में रहने वाले परिवार जिसके घर की दीवारे व छत कच्ची हो।
- भूमिहीन परिवार जिनके घर की अधिकतम आय मैनुअल व अकस्मिक मजदूरी से आती हों।
- अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार।
- ऐसे परिवार जिनके घर में 25 वर्ष की उम्र का कोई वयस्क शिक्षित न हो।

इस प्रकार उक्त श्रेणियों के परिवारों को ग्रामीण उद्यम वेग वृद्वि परियोजना के अन्तर्गत अत्यन्त/अतिगरीब परिवारों (Ultra Poor) की श्रेणी में रखा गया है जिसके लगभग 10000 परिवारों को लाभान्वित किया जाना है व यू0एस0आर0एल0एम0 परियोजना के स्वयं सहायता समूहों में भी जोड़ा जाना है।

2-अत्यन्त गरीब/अतिगरीब **(Ultra Poor)** पैकेज एवं उददेश्यः–

रीप परियोजना द्वारा उक्त परिवारों को आजीविका संवर्धन गतिविधियों/मूल्य श्रंखला गतिविधियों/आय अर्जक गतिविधियों को करने हेतु प्रति परिवार रू0 35000 का Ultra Poor package के रूप में ब्याज रहित ऋण राशि (Interest free loan) दी जानी है जिसका उददेश्य निम्नानुसार है :–

i. अपनी वर्तमान आजीविका गतिविधि का सफलता पूर्वक क्रियान्वयन।
ii. वर्तमान आजीविका गतिविधि का विस्तारीकरण/बढ़ावा।
iii. वर्तमान आजीविका गतिविधि के अतिरिक्त नयी गतिविधि का क्रियान्वयन।
iv. आजीविका गतिविधि के सफलता पूर्वक क्रियान्वयन हेतु Gap का निस्पादन करना।

3-Ultra Poor Package- ब्याज रहित ऋण **(Interest free Loan)**एवं संभावित गतिविधियाँः–

3.1- चयनित लाभार्थी की रूचि एवं आजीविका संभाव्यता के अनुसार समन्वित आजीविका संवर्धन योजना (ILIP) तैयार की जाएगी। इस योजना में यदि वर्तमान में की जा रही आजीविका गतिविधि में विस्तार का या पूरकता का प्रस्ताव है तो उसके घटको को नए कार्य / योजना के रूप में चिन्हित किया जायेगा।

3.2- परियोजना द्वारा Ultra Poor Package हेतु Integrated Livelihood Improvement Plan (ILIP) तैयार करने के उपरान्त ही सम्बन्धित CLF के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

3.3- Integrated Livelihood Improvement Plan (ILIP) में आय अर्जन की गतिविधि आधारित होना आवश्यक है तथा पशुपालन सम्बन्धी आजीविका गतिविधि हेतु (जैसे डेरी, बकरी, मत्स्य एवं मुर्गीपालन इत्यादि) ILIP को मनरेगा के आजीविका पैकेज से अभिसरण किया जा सकता है।

3.4- एकीकृत आजीविका सुधार योजना (ILIP) – को मनरेगा पैकेज या अन्य विभागों की योजनाओं से अभिसरण कर बनाया जाना है।

3.5- गैर पशुपालन सम्बन्धी ILIP हेतु ब्याज रहित ऋण सहयोग राशि के अतिरिक्त बैंक (दीन दयाल मनरेगा इत्यादि) एवं यदि सम्भव हो तो स्वयं के अंशदान का भी प्राविधान आवश्यक होगा। जैसे दुकान, रेड़ी इत्यादि।

3.6- ILIP में ऐसे कार्य जिनको महात्मा गाँधी नरेगा से किया जाना है उन योजनाओ तथा उनके लाभार्थियों की सूची खंड विकास अधिकारी को दी जाएगी जिससे वे महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत आजीविका पॅकेज को सम्मिलित करते हुए उनकी महात्मा गाँधी नरेगा केंद्राभिसरण कार्ययोजना तैयार करवा कर पारित करवा सके ।

3.6 इसी प्रकार ऐसी योजनाएं जिनमे केवल NRLM एवं अल्ट्रा पुअर पैकेज का ही अभिसरण किया जाना है उन्हें भी खंड विकास अधिकारी को दिया जायेगा जिससे वे NRLM केंद्राभिसरण कार्ययोजना तैयार कर पारित कर सकें।

3.7 सम्पूर्ण विकास खंड की कार्ययोजना की एक प्रति मुख्य विकास अधिकारी को अनुमोदन हेतु प्रेषित की जाएगी । मुख्य विकास अधिकारी इस सूचि के आधार पर CLF वार अल्ट्रा पुअर पैकेज की धनराशि का आवंटन एवं NRLM अंतर्गत धनराशि का मात्राकरण कर सकें

4. कार्यदायी संस्था

41 अल्ट्रा पुअर पैकेज अंतर्गत तैयार की गयी ILIP का क्रियान्वयन CLF के माध्यम से करवाया जायेगा।

4.2 लाभार्थी हेतु तैयार किये गए ILIP में स्पष्ट रूप से इंगित होगा की इस कार्ययोजना का क्रियान्वयन किस CLF के द्वारा करवाया जायेगा।

4.3 महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु कार्य पूर्व जिओ टैग, APP के माध्यम से उपस्थिति एवं मस्टर रोल प्रबंधन , सामग्री क्रय, श्रमांश के भुगतान आदि कार्य का उत्तरदायित्व CLF का होगा ।

4.4 इसी प्रकार NRLM के कार्यों में भी क्रियान्वयन की समस्त शर्तों का निर्वहन CLF द्वारा करवाया जायेगा ।

5- बजट प्रवाह

5.1-ULTRA POOR PAKAGE Fund—मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से सीधे सम्बंधित CLF को

5.2- MGNREGA Fund—खंड विकास अधिकारी के माध्यम से नियमानुसार CLF को

5.3- NRLM Fund— सम्बंधित SHG द्वारा CLF को उपलब्ध कराया जायेगा जो लाभार्थी द्वारा लिए गए लोन के रूप में, रिवॉल्विंग फण्ड में से उस लाभार्थी के अंश के रूप में अथवा CIF के रूप में हो सकता है

6- ब्याज रहित ऋण एवं ऋण वापसी **(Ultra Poor Package and repayment)**

6.1 रीप अंतर्गत लिए गए पैकेज / फंड की वापिसी समझौता पत्र में उल्लिखित तय समय सीमा में लाभार्थी द्वारा CLF को की जाएगी। CLF यदि लाभार्थी की प्रगति और धनराशि के उपयोग से संतुष्ट होता है तो पुनः सहायता प्रदान कर सकता है।

6.2 रीप परियोजना द्वारा CLF के माध्यम से एक मुश्त रू॰ 35000.00 (रूपये पैतीस हजार मात्र) ब्याज रहित ऋण

के रूप में दिया जायेगा।

6.3 प्रदत्त धनराशि की वापसी गतिविधि क्रियान्वयन के 2 वर्ष उपरान्त सम्बन्धित **CLF** के खाते में 10 मासिक किश्तों में वापिस की जायेगी।

6.4 रीप द्वारा प्रदान की जाने वाली ब्याज रहित ऋण राशि हेतु CLF व लाभार्थी के बीच एक अनुबन्ध किया जायेगा। जिसमे कार्य के साथ ultra poor पैकेज के बजट के प्रयोग एवं वापसी की शर्तें सम्मिलित होंगी । (संलग्नक–1)

6.5 जिला प्रबन्धन इकाई एवं विकासखण्ड स्तर से staff द्वारा अभिसरण से आवश्यक सामग्री की व्यवस्था **ILIP** के अनुसार रेखीय विभागों के समन्वयन से उपलब्ध कराई जायेगी।

6. 6 CLF में वापस की गई धनराशि का उपयोग **CLF** के **BOD** में पारित प्रस्ताव के अनुरूप अन्य गरीब परिवारो को ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराने हेतु चक्रिय कोष **(Revolving Fund)** के रूप में किया जाएगा।

संलग्नक– 1

CLF-LC व **Ultra Poor** परिवार के बीच ब्याज रहित ऋण राशि हेतु दिये जाने वाले अनुबन्ध का प्रारूप

यह अनुबन्ध आज दिनांक .....को .....(CLF-LC का नाम) के माध्यम श्रीमती.. .....निवासी ....व .....(लाभार्थी का नाम) निवासी.... .....(द्वितीय पक्ष) के मध्य निष्पादित किया गया।

1– द्वितीय पक्ष ब्याज रहित ऋण राशि को प्राप्त करने हेतु अपना ILIP बनायेगा व प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को आजीविका संवर्द्वन गतिविधियों के करने हेतु एक मुश्त ब्याज रहित ऋण राशि रू0 35,000.00 (धनराशि रू0 पैंतीस हजार मात्र) खाते में उपलब्ध करवायेगा। द्वितीय पक्ष प्राप्त धनराशि का उपयोग REAP –DPMU के मार्गदर्शन में करेगा।

2– द्वितीय पक्ष इस धनराशि का उपयोग आजीविका सवंर्द्वन गतिविधि के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में नहीं करेगा।

4– द्वितीय पक्ष यदि 1 वर्ष तक इस धनराशि का उपयोग नहीं कर पाता है तो उससे यह धनराशि प्रथम पक्ष द्वारा वापिस कर ली जायेगी।

5– प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष आजीविका संवर्द्वन गतिविधियों को बढ़ाने हेतु मनरेगा व अन्य उपयोगी व संभावित योजनाओं से अभिसरण करेगा।

6– द्वितीय पक्ष 2 वर्ष उपरान्त उक्त धनराशि को 10 मासिक किश्तों (Maximum Next 1 year) में वापिस करेगा।

7– द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष द्वारा समय–समय पर मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध करवायेगा व आवश्यकतानुसार मीटिंगो व प्रशिक्षणों में प्रतिभाग करेगा।

8– किसी भी प्रकार के वाद–विवाद का निपटारा प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष द्वारा आपसी सहमति से किया जायेगा।

9– विषम परिस्थितियों अथवा विवाद का निपटारा न होने की स्थिति में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष..... हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष .....

गवाह प्रथम पक्ष ..... गवाह द्वितीय पक्ष .....